"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2016/वाक/पांच (57).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस 2/48, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 62क के उप-नियम (1) के खंड (ख) में, चिन्ह "." के स्थान पर, चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 62क के उप-नियम (1) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(ग) उसमें शामिल है-

(एक) विधि के किसी सुसंगत प्रावधान के उपयोजन का प्रश्न;

(दो) रिकॉर्ड पर स्पष्ट तथ्य की त्रुटि;

(तीन) आवश्यक दस्तावेजों के बारे में कथन जो व्यापारी द्वारा अपने नियंत्रण से परे कारणों से प्रस्तुत नहीं हो सके."

(3) फार्म 75 के अनुक्रमांक 5 में, शब्द "जिस आधार पर अनुतोष की मांग की जा रही है (आधार निर्दिष्ट करें)" के स्थान पर, "विधि के किसी सुसंगत प्रावधान के उपयोजन का प्रश्न या रिकार्ड पर स्पष्ट तथ्य की त्रुटि या आवश्यक दस्तावेजों के बारे में कथन जो की प्रस्तुत नहीं किये जा सके (यथास्थिति, प्रश्न या त्रुटि या दस्तावेज निर्दिष्ट करें)" प्रतिस्थापित किये जाएं.

(4) फार्म 75 के अनुक्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5क. आवेदक के तर्कों के साथ, यथास्थिति, पूर्वोक्त प्रश्न या त्रुटि को प्रभावित करने वाले सुसंगत तथ्यों का विवरण, या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्रमांक एफ 10-30/2016/वाक/पांच (57). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2016/वाक/पांच (57), दिनांक 18-5-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th May 2016

NOTIFICATION

No. F 10-30/2016/CT/V (57) — The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 71 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Special Secretary, Department of Commercial Tax, Government of Chhattisgarh, Room No. S 2/48, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules, -

(1) In clause (b) of sub-rule (1) of rule 62-A, for the symbol ".", the symbol ";" shall be substituted.

(2) After clause (b) of sub-rule (1) of rule 62-A, the following shall be added, namely :-

"(c) It contains -

(i) a question about the application of any relevant provision of law;

(ii) an error of fact apparent on the face of the record; or

(iii) a statement regarding necessary documents which could not be submitted by the dealer due to reasons beyond his control."

(3) In Serial No. 5 of Form 75, for the words "Ground on which relief is sought (state the grounds)", the words "Question about the application of any relevant provision of law or error of fact apparent on face of the record or statement regarding necessary documents which could not be submitted (specify the question or the error of fact or the documents, as the case may be)" shall be substituted.

(4) After Serial No. 5 of Form 75, the following shall be inserted, namely :-

"5A Statement of the relevant facts having a bearing on the aforesaid question or the error of fact, as the case may be, or reasons for not submitting the necessary documents, along with arguments of the applicant"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .